318

426

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर श्रृखला न्यायालय रीवा म0प्र0

579
27-9-13

COURT FEE
INDIA
20 Rs.
बीस रुपये
TWENTY RUPEES
विलोपित/विलोपित

Rs. 20/-

अधिवक्ता श्री कमलेश्वर दुबे द्वारा प्रस्तुत। रीवा. दि. 27.9.13

R - 4255 - II/13

भैयालाल तनय करन साहू निबासीग्राम धनौली, तहसील मझौली, जिला सीधी म0प्र0

-----निगरानीकर्ता

बनाम

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

करन साहू तनय रघुन साहू निबासीग्राम धनौली, तहसील मझौली, जिला सीधी म0प्र0

-----गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय सीधी, जिला सीधी केप्रकरण क्र0 546/निगरानी/2008-09 से पारित आदेश दिनांक 29/7/2013 जिसके तहत नितांत अवैधानिक तरीके से आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, कोअपास्त किये जाने हेतु ।

निगरानी अर्न्तगतधारा- 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता 1959·

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तत्थ्य :-

(क) यह कि निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी मझौली, जिला सीधीके प्रकरण क्रमांक-72/अपील/2007-08 में पारित आदेश दिनांक- 7/8/2009 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रकरण प्रस्तुत किया गया ।

(ख) यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानी में उठाये गये तथ्यों पर गंभीरता पूर्वक विचार नही किया गया, ना ही प्रकरण का समुचित परिशीलन ही किया गया, वल्कि आनन-फानन मे तथ्यों का निष्कर्ष निकाल ते हुये हुये निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी को निरस्त कर दिया गया है, जिस आदेश से व्यथित होकर निम्नांकित आधारों पर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जारही है :---

XXXIX(a)-BR(H)-11

(318)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–4255-II/13** जिला–सीधी

भैयालाल साहू/करन साहू

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश्वर दुवे उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 564/निगरानी/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 29.07.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	